न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या :– 88 / 2022 जीसीएमएस नं0 213/ 2021 निर्णय दिनांक 14.11.2022

उनवान प्रकरण

प्रभूदयाल कसेरा चेरिटेबल टस्ट श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये मंत्री दीनदयाल कसेरा पुत्र स्व0 प्रभूदयाल कसेरा जाति महाजन निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर

वादी / अप्रार्थी

बनाम्

1. केदारनाथ पुत्र स्व0 गुलकन्द उर्फ गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी श्रीमाधोपुर हाल केयर ऑफ ए–215, कबीर कॉम्पलेक्स, डोनवास स्कूल के सामने लेन–6, मकस्यूरा रोड़, बड़ौदरा गुजरात वगैराह कुल 8 प्रतिवादीगण

––प्रतिवादी / प्रार्थी

उपस्थितः–
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 वादी / अप्रार्थी अभिभाषक।
श्री अरविन्द कुमार शर्मा, एड0 आवेदककर्त्ता प्रा.पत्र पेशकर्त्ता
आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 डी सपठित धारा 151 सीपीसी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी प्रभूदयाल कसेरा चेरिटेबल टस्ट श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये मंत्री दीनदयाल कसेरा पुत्र स्व0 प्रभूदयाल कसेरा जाति महाजन निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर ने एक वाद बाबत उदघोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] नम्बर 2 से 6 कुल किता 5 कुल रकबा 1.45 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के [illegible] हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदारी वादी ट्रस्ट प्रभूदयाल कसेरा चेरिटेबल टस्ट श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व दीनदयाल कसेरा का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 श्री मंगलचन्द कसेरा पुत्र स्व0 सीताराम कसेरा जाति महाजन निवासी न्यू अग्रसेन भवन के पास, नवलखा कोठी, सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 29/07/2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वादपत्र में प्रतिवादी संख्या–8 के रूप में सहायक आयुक्त द्वितीय, देवस्थान विभाग जयपुर को पक्षकार बनाकर के यह वाद प्रस्तुत किया है और उक्त वाद में प्रतिवादीगण की रिकॉर्डेड एवं कब्जेशुदा भूमि को प्रभूदयाल कसेरा चेरिटेबिल ट्रस्ट श्रीमाधोपुर के नाम की भूमि बताकर वाद प्रस्तुत किया है। राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 74 के अनुसार किसी भी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर के विरूद्ध वाद संस्थित नही किये जाने के संबंध में स्पष्ट वर्णित करते हुये यह कहा गया है कि वादों एवं कार्यवाहियों से विमुक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी वाद राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के विरूद्ध होने से चलने योग्य नही है। किसी भी ट्रस्ट की संपति विवाद को सुनने एवं निर्णित करने की शक्ति सिविल न्यायालय को नही दी गई है। इसके बाबत् राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 73 में अधिकारिता का वर्जन दिया गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त उनवानी वाद राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के प्रावधान के विपरीत होने से चलने योग्य नही है। वादी ने अपने वादपत्र में उक्त संपति के बाबत् न्यायालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर के यहां पूर्व में प्रस्तुत की गई पत्रावली को हल किये हुये वाद प्रस्तुत किया है। जो कि स्पष्टतः राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के विपरीत हैं। वादी ने उक्त उनवानी वाद को प्रस्तुत करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये आदेश 6 नियम 2(3) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया हैं। इसलिए वादी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही हैं। आदेश 6 नियम 2(3) में स्पष्ट रूप से सामान्य अभिवचन के बारे में कहा गया हैं कि किसी भी वाद में जो संख्याऐं राशियां दिनांक इत्यादि को अंकों एवं शब्दों में लिखी जायेगी परन्तु वादी ने उक्त वाद में केवल मात्र दिनांक, संख्याऐं, अंकों में ही वर्णित की है, शब्दों में वर्णित नही की है। इस प्रकार से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने से चलने योग्य नही है। वादी ने वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है और वाद हेतुक बनावटी एवम् कपोल कल्पित तारीख का हवाला देकर के प्रस्तुत किया हैं जबकि वादी ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से पैरा सं. 5 में कथन किया हैं कि उक्त विवादित संपति 2005 से पूर्व से लेकर आज दिनांक तक प्रतिवादीगण के नाम रिकॉर्डेड एवं कब्जे काश्त हैं। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि उक्त विवादित भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण का हैं तो बिना किसी कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नही चलता हैं और उक्त वाद में वाद हेतुक बनावटी एव मनगढ़न्त हैं, इसलिए बिना वाद हेतुक के वाद चलने योग्य नही हैं। इसलिए वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में जो मियाद वाद हेतुक से बनाई हैं। वह प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने से वादी की ओर से वाद चलने योग्य नही हैं। वादी ने अपने वाद में राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाये जाने बाबत इस्तदुआ चाही हैं जबकि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती तब की जा सकती हैं। जब राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गलती सहवन से या जानबुझकर की गई हो परन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती राजस्व अधिकारियों के द्वारा नही की गई हैं। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती का यह वाद बिना वाद हेतुक के प्रस्तुत किया गया हैं। इसलिए यह विधि विरूद्ध होने से [illegible] आधार पर खारिज किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर [illegible] के द्वारा अपनी बहस में किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] दौराने बहस अवगत कराया कि प्रतिवादी नं. 8 के रूप में सहायक आयुक्त [illegible]य देवस्थान विभाग जयपुर को उक्त प्रकरण में पक्षकार इसलिए बनाया जाना न्यायोचित व आवश्यक हुआ कि विचाराधीन

14/11/22
दिलीप सिं...
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

संपति राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि होकर उक्त भूमि में पक्षकारान के दादा/पिताजी गुलकन्द कसेरा द्वारा विचाराधीन भूमि को धार्मिक उपयोग हेतु क्रय किया जाना तथा उक्त भूमि में धार्मिक उपयोग हेतु किया कलाप चालू करते हुये सार्वजनिक हितार्थ कुआ, शिवमंदिर बालाजी का मंदिर आदि का निर्माण करवाकर इनका उपयोग आम जनता के लिए करने लग गये। उनकी मृत्यु पश्चात उनके पुत्रो ने धार्मिक उपयोग की उक्त व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुये इस भूमि में कीर्तन, हाल, बाथरूम आदि का निर्माण करवाया तथा गुलकन्द कसेरा जो पक्षकारान के दादा–पिताजी थे उनकी धार्मिक भावनाओं को उक्त भूमि जिस उद्देश्य से उन्होने खरीद की। उसको कालान्तर में धार्मिक उपयोग उनके द्वारा स्थापित कसेरा धार्मिक बगीची का संचालन हेतु दिनांक 13.07.2004 को आवेदक व इसके भाई ने संस्थापक ट्रस्टी के रूप में ट्रस्ट डीड बनाकर उपपंजीयक श्रीमाधोपुर से तस्दीक करवाया तथा इसके पश्चात उक्त ट्रस्टडीड व गुलकन्द कसेरा(पक्षकारान का दादा–पिता) द्वारा मौके पर विचाराधीन संपति में बनाये गये धार्मिक क्रियाकलापों के मंदिर, कुंआ, कीर्तन हॉल, बाथरूम आदि को कसेरा धार्मिक बगीची के रूप में काम लेने के लिए उक्त ट्रस्ट डीड का प्रतिवादी नं. 8 के यहां से पंजियन करवाने हेतु विधिवत् रूप से प्रार्थना पत्र प्रपत्र 6 प्रारूप में पेश किया। जिसमें आवेदक के साथ साथ समस्त ट्रस्टी गुलकन्द कसेरा के वारिसान ने दिनांक 13.07.2004 को उपपंजियक श्रीमाधोपुर से तस्दीक करवाई डीड, लेखपत्र की फोटो प्रति जिसकी खातेदारी ट्रस्ट के नाम करवाने हेतु विचाराधीन प्रकरण हैं तथा उक्त विचाराधीन संपति का ब्लूप्रिन्ट नक्शा व आय व्यय का विवरण पेश कर दस्तावेजात के रूप में प्रस्तुत किये तथा उक्त विचाराधीन संपति को गुलकंद कसेरा की खरीदशुदा भूमि होकर उन्होने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कसेरा धार्मिक बगीची बनाई थी को उक्त ट्रस्ट की संपति मानते हुये प्रतिवादी नम्बर 8 के यहां से ट्रस्ट पंजीबद्ध करवाया प्रतिवादी नं0 8 ने अपने निर्णय प्रकरण संख्या 51/2005 निर्णय दिनांक 25.07.2005 में स्पष्ट रूप से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति को ट्रस्ट के नाम दर्ज करवाकर सूचित करने का आदेश दिया गया। जिसके पश्चात भी उक्त संपदा निर्विघ्न रूप से निरंतर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए ट्रस्ट की संपदा के रूप में उपयोग उपभोग होकर विधिवत् रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

से उक्त संपदा की खातेदारी ट्रस्ट के नाम करवाने बाबत् उक्त वाद पेश किया गया है। आवेदक जो ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी होकर ट्रस्ट का निर्माण करने वाला व्यक्ति होकर उक्त संपदा ट्रस्ट की होने बाबत् दस्तावेज प्रतिवादी नं. 8 के यहां पेश किये तथा प्रतिवादी नं. 8 ने उक्त संपदा का स्वत्व न्यास के नाम करवाकर सूचना प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया हैं। इसलिए राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 28 की पालना में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। विचाराधीन प्रकरण न्यास से संबंधित विवाद का नही होने के कारण धारा 74 लागू नही होती हैं। इसलिए आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं। जो उक्त प्रकरण में किसी प्रकार से लागू नही होती हैं। न्यायालय हाजा मे विचाराधीन प्रकरण ट्रस्ट की संपति का विवाद नही होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में आवेदक व अन्य पक्षकारान द्वारा प्रतिवादी नं. 8 के यहां प्रस्तुत प्रारूप प्रपत्र 6 में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के समय उक्त संपदा को ट्रस्ट की संपदा बताकर आवेदन व दस्तावेज पेश किये तथा उक्त संपदा स्वत्व दस्तावेज ट्रस्ट के नाम नही होने के कारण उक्त संपदा का खातदेारी ट्रस्ट के नाम करवाने बाबत् खातेदारान के विरूद्ध न्यायालय हाजा में वाद पेश किया हैं। जिसकी सुनवाई का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकर हैं। उक्त वाद में विचाराधीन संपदा के 1/3 हिस्सा के खातेदारान द्वारा उक्त संपदा ट्रस्ट की संपदा होना स्वीकार कर जवाब पेश किया जा चुका हैं तथा आवेदक व अन्य पक्षकार उक्त ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी होने से प्रतिवादी नं. 8 के यहां प्रस्तुत आवेदन में उक्त संपदा को ट्रस्ट की संपदा मानना स्वीकार करने तथा मौके पर उक्त संपदा में धार्मिक कियाकलाप उक्त कसेरा धार्मिक बगीची को स्थापित करने वाले व्यक्ति गुलकन्द कसेरा की उक्त संपदा स्वःअर्जित संपति होने से उनकी इच्छा के अनुसार संचालन हो रहा हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रकरण राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानों के किसी प्रकार विपरित नही है तथा खातेदारी की भूमि में खातेदारी अधिकार की घोषणा करने का मात्र राजस्व न्यायालय को ही अधिकार होने से आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं। दिनांक, संख्याओं अंको में ही वर्णित करने के कारण दावा इस स्टेज पर कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खारिज नही किया जा सकता हैं। आवेदक को इसके लिये आपति हैं। तो अपने जवाब में आपति उठा सकता हैं फिर भी अलग से आवेदन आदेश नियम 6 नियम 17 पेश कर वादपत्र व प्रार्थना पत्र में दिनांक, संख्याये, अंकों के साथ शब्दों में वर्णित की जा रही है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। मात्र ट्रस्ट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। स्वयं आवेदक ने उक्त भूमि ट्रस्ट की भूमि होना प्रतिवादीगण नं. 8 के यहां स्वीकार कर दस्तावेज पेश कर रखे हैं तथा अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात उक्त संपदा ट्रस्ट की होने के पश्चात आज दिनांक तक उनके विपरित किसी भी सक्षम अधिकारी या न्यायालय में कोई आपति नही की गई हैं तथा प्रतिवादी नं. 8 द्वारा दिए आदेश की पालना में वादपत्र पेश किया गया हैं। जिससे आवेदक स्टोप्ड हैं। खातेदारी की घोषणा का वाद को सुनवाई का अधिकार होनें से आवेदकगणो के आचरण के कारण तथा वाद कारण उत्पन्न होने के कारण सही रूप से दावा पेश किया गया हैं। वकील वादी ने दौराने बहस वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को संव्यय खारिज किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से वादी द्वारा पेंश प्रार्थना पत्र सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर को पक्षकार बनाया जाकर प्रतिवादीगण की रिकार्डेड एंव कब्जेशुदा खातेदारी भूमि को प्रभूदयाल कसेरा चेरिटेबिल ट्रस्ट श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नाम उद्घोषित करवाने बाबत वादपत्र पेश किया गया है। जो राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 73, 74 के प्रावधानों के विपरित होने एंव सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने एंव वादपत्र के हैतुक बनावटी होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) — मुहर)

Rathore
14/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि– वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क. जहाँ वह वाद हैतुक प्रकट नहीं करता है।

ख. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्याकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ. जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड. जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

च. जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें प्रभूदयाल कसेरा चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीमाधोपुर जिला सीकर को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर के द्वारा राजस्थान सार्वजनीक प्रन्यास अधिनियम 1959 की 42) के अधीन उक्त सार्वजनिक प्रन्यास को रजिस्टर्ड करने हेतु सहायक आयुक्त (ट्रस्ट) देवस्थान विभाग जयपुर के प्रकरण नं. 51/2005 के निर्णय दिनांक 25.07.2005 के द्वारा प्रन्यास अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रन्यास का पंजीयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा धारा 21 के तहत प्रपत्र 1 में इन्द्राज किया जाकर नियमानुसार पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी पालना में सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर के द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रकट होता है। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् के नाम दर्ज रिकार्ड होकर निजी खातेदारी में होना प्रकट होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 88 के तहत वाद लाने हेतु एक अभिधारी, एक सह–अभिधारी, एक खुदकाश्त का अभिधारी, एक उप अभिधारी या एक भू धारक (राज्य सरकार के अलावा) के द्वारा वाद फाईल किया जा सकता है। घोषणा का वाद में केवल अधिकारों की घोषणा करता है, उस दावें में डिकी के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, जो अधिकार अस्तित्व में होते है डिकी केवल उन अधिकारों की घोषणा करती है। खातेदारी की घोषणा के वाद में सजरा खानदान पेश करना, इकरारनामा और मौखिक साक्ष्य अधिकार अभिलेख को सही करने हेतु घोषणा दी जा सकती है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं होता है। जहॉ तक उद्घोषणा से सम्बन्धित चाही गई इस्तदुआ का प्रश्न है। उन मामलों में समस्त खातेदारान् की सहमति आवश्यक होती है तथा बिना सह खातेदारान् की सहमति से एंव बिना पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिये किसी भी खातेदारान् के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। उक्त वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी **घ. जहॉ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है की श्रेणी के अन्तर्गत होना पाया जाता है।** अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 4 मंगलचन्द कसेरा पुत्र स्व0 सीताराम कसेरा जाति ... द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

::–कियात्मक आदेश–::

अतः वकील प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 4 मंगलचन्द कसेरा पुत्र स्व0 सीताराम कसेरा जाति महाजन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है एंव वादी न्यायालय सहायक आयुक्त (ट्रस्ट) देवस्थान विभाग, जयपुर के यहाँ चाराजोही किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। मूल निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:44 IST
Reason: SelfAttested